न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 63/19 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. गायत्री देवी पत्नी स्व0 महावीर सिंह यादव ग्राम नावदी तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ हाल निवासी ग्राम खूंदरोठ तहसील नीमराना जिला अलवर राजस्थान

:--- वादनी/अपीलांटा

बनाम

1 फूलवती पत्नी प्रहलाद
2 मनफूल पुत्र प्रहलाद
3 लालाराम पुत्र प्रहलाद
4 रणवीर पुत्र प्रहलाद
5 कर्मवीर पुत्र प्रहलाद जाति समस्त अहीर निवासीयान नावदी तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ हरियाणा

:-- असल प्रतिवादी/रेस्पो0

6 उप पंजीयक नीमराना हाल मांढण
7 राज0 सरकार जरिये लैण्ड होल्डर बहरोड हाल नीमराना
8 राज0 सरकार जरिये जिला कलेक्टर, अलवर

:--- तरतीबी प्रतिवादी/रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, नीमराना दिनांक 2.5.2019

31/10

उपस्थित :– वकील अपीलांट :– सर्व श्री राधेश्याम यादव, जगदीश प्रसाद

वकील असल रेस्पो0 :– श्री संजय यादव

दिनांक 31.10.19

निर्णय

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, नीमराना द्वारा राजस्व वाद संख्या 2043/2015 बाबत इस्तकरारहक दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा में पारित निर्णय दिनांक 2.5.2019 के खिलाफ है, जिसके द्वारा वादी का उक्त वाद रेसज्यूडीकेटा में खारिज किया गया है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादनी ने तहत न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 643 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा जिसके हाल नम्बर 1470/0.95 कायम हुये हैं तथा आराजी हाल खसरा नम्बर 1465/1789 रकबा 12 एयर, 1484/0.65, 1465/0.75 वाके ग्राम खूंदरोठ तहसील नीमराना में है । उक्त आराजी विवादित है । विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 643 में 1/2 भाग प्रतिवादी संख्या 01 प्रहलाद ने एवं 1/2 भाग प्रतिवादी संख्या 2 ला0 5 व वादनी के पति महावीर यादव ने रजिस्टर्ड बयनामा से सुरजनसिंह से क्रय की थी । जिन बयनामों के आधार पर इंतकाल संख्या 384, 385 दर्ज हो गये । परन्तु बंदोबस्त सम्वत 2042 में विवादित आराजी को पुनः पूर्व खातेदार विक्रेता सुरजनसिंह के नाम गलत तौर पर दर्ज कर दिया । जिसकी दुरूस्ती हेतु प्रतिवादी संख्या 1 ला0 5 ने एक दावा संख्या 88/88 उनवान प्रहलाद वगैरा बनाम सुरजनसिंह न्यायालय सहायक कलेक्टर, बहरोड में प्रस्तुत किया था, जिसमें वास्तव में प्रतिवादी संख्या 5 कर्मवीर शामिल नहीं था, परन्तु उसकी ओर से फर्जी हस्ताक्षर करके प्रतिवादी संख्या 1 ला0 4 ने उक्त दावा प्रस्तुत कर दिया । उक्त वाद में प्रतिवादी सुरजन उपस्थित नहीं हुआ । दिनांक 21.7.89 को उक्त मुकदमा डिक्री कर दिया गया, जो डिक्री वादिया के हक हकूको तक प्रभाव शून्य एवं प्रभावहीन है । उक्त डिक्री के माध्यम से साबिक खसरा नम्बर 643 हाल नम्बर 1470 रकबा 75 एयर वाके ग्राम खूंदरोठ का वादीगण को खातेदार घोषित किया गया था । उक्त डिक्री की इजराय हुई, जिसमें इंतकाल नम्बर 48, 49 दर्ज हो गया, जो वादिया के हक हकूको की सीमा

31/10

तक प्रभावहीन एवं शून्य है । उक्त दावे की जानकारी वादनी व उसके पति को नहीं थी तथा उक्त दावे में प्रतिवादी संख्या 1 ला0 4 ने वादनी के पति को अविवाहित बिला औलाद फौत बताकर शामिल नहीं किया और वादिया की शादी के तथ्यों को छिपाकर बाला बाला उक्त डिक्री प्राप्त कर ली । उक्त डिक्री दिनांक 21.7.89 का जब अमल हुआ तो प्रतिवादी संख्या 1 ला0 4 ने मिल्लत करके आराजी खसरा नम्बर 1465 का भी अमल करवा लिया, जबकि खसरा नम्बर 1465 का दावा ही नहीं था । विवादित आराजी खसरा नम्बर 1465/1789 व 1484 में वादनी के पति का 1/4 हिस्सा था, जिस आराजी की बाबत वादनी के पति की विरासत का इंतकाल नम्बर 561 भी प्रतिवादी संख्या 2 ला0 5 ने चालाकी से अपने नाम दर्ज करवा लिया । कुल कार्यवाही साजबाज होकर वादनी की आराजी को हडपने की नियत से की गई है । अतः निवेदन है कि वाद पत्र डिक्री किया जावे । तहत न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय द्वारा उक्त वाद पत्र रेसज्यूडीकेटा में खारिज किया है, जिसकी वादनी ने यह अपील प्रस्तुत की है ।

3 बहस में विद्वान वकील अपीलांट ने अपने अपील मीमो एवं वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिये कि प्रतिवादीगण द्वारा मेरे दावे का जवाब प्रस्तुत किया गया था, लेकिन मेरे द्वारा प्रस्तुत संशोधित वाद का जवाब प्रस्तुत नहीं किया । प्रतिवादीगण द्वारा मेरे संशोधित वाद का विरोध भी प्रकट नहीं किया । इससे सिद्ध है कि प्रतिवादीगण को मेरे संशोधित वाद से किसी प्रकार कोई ऐतराज नहीं है । इतना ही नहीं, उभयपक्षों द्वारा राजीनामा भी प्रस्तुत कर दिया गया था । इन सबके बावजूद भी तहत अदालत द्वारा गलत तौर पर वाद पत्र खारिज कर दिया गया और अपने निर्णय में संशोधित वाद पत्र का कोई हवाला नहीं दिया, संशोधित वाद पत्र के तथ्यों पर कोई गौर नहीं किया । असल प्रतिवादीगण ने अपने जवाब में इस बात को स्वीकार किया है कि उनके भाई महावीर सिंह, जो गायत्री देवी का पति था, उसकी मृत्यु दिनांक 12.10.1985 को हुई थी तथा गायत्री देवी की शादी महावीर की मृत्यु के साढे तीन साल पूर्व दिनांक 15.5.85 को हुई थी । प्रतिवादीगण ने यह भी स्वीकार किया था कि वादिया उनके भाई के साथ साढे तीन साल लगातार गांव नावदी में बतौर पत्नी रही थी । इस प्रकार प्रतिवादीगण के जवाब से भी मैं वादनी अपीलांटा महावीर की पत्नी सिद्ध हूं । इतना ही नहीं, असल प्रतिवादी रेस्पो0 ने अपने जवाब दावा के पैरा संख्या 3 में यह भी स्वीकार किया है कि

6/11/10

पूर्व वाद में वादनी के पति महावीर यादव अविवाहित फौत नहीं हुआ था । उसकी पत्नी गायत्री देवी है । परन्तु इनके कोई सन्तान नहीं हुई थी । इन तथ्यों पर भी विद्वान तहत अदालत ने गौर नहीं किया । पूर्व वाद संख्या 88/88 तथा 89/88 में वादिया अपीलांट को वादिया अपीलांट की भूमि हडपने की नियत से पक्षकार नहीं बनाया गया था । एक डिक्री को रद्द करने के लिए अनुतोष का इस निर्णय में विवादास्पद प्रश्न रहा है कि धारा 88, 89 और 188 के अधीन उपखंड अधिकारी के समक्ष पिछले वाद में छल कपट व बेईमानी से प्राप्त डिक्री रद्द कराने के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसा अनुतोष अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट प्रकृति के होने से राजस्व न्यायालय की अधिकारिता के भीतर है । विधि के इस सुस्थापित नियम की ओर विद्वान तहत अदालत ने गौर नहीं किया । मैंने अपने वाद पत्र में यह अनुतोष भी चाहा था कि मेरे पति महावीर की विरासत में पति के हिस्से तक की खातेदार घोषित किया जावे, जिसका कहीं पर कोई विरोध जवाब दावा में नहीं किया गया है । ऐसा अनुतोष धारा 88 की तृतीय अनुसूची के कमांक 5 के परिप्रेक्ष्य में राजस्व न्यायालय की अधिकारिता में है । उपरोक्त समस्त तथ्यों की अनदेखी करते हुये विद्वान तहत अदालत ने रेसज्यूडीकेटा लागू होना गलत तौर पर माना है । इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि पूर्व वाद में मैं पक्षकार नहीं थी । इसलिये मेरे मौजूदा वाद पर रेसज्यूडीकेटा लागू नहीं होता है । अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर प्रकरण को मेरिटस पर निस्तारण करने हेतु रिमांड किया जावे । विद्वान वकील अपीलांटा ने अपनी बहस के समर्थन में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 207, 2012(2) आर0 आर0 टी0 1029 (उच्चतम न्यायालय), धारा 11 सी0 पी0 सी0 का हवाला दिया ।

4 विद्वान वकील असल रेस्पो0 का कथन है कि विवादित भूमि से अपीलांटा वादिया का कोई लेना देना नहीं है । विवादित आराजीयात की बाबत पूर्ववर्ती वाद में डिक्री हो चुकी थी और उक्त डिक्री की इजराय भी हो चुकी है और हम खातेदार दर्ज हो गये हैं । पूर्ववर्ती वाद और मौजूदा वाद के तथ्य, आराजी, मांगा गया अनुतोष और पक्षकार एक समान है । अब मौजूदा वाद में कॉज ऑफ एक्शन नहीं बचा है । इसलिये रेसज्यूडीकेटा लागू होता है । अगर वादिया अपीलांटा पूर्ववर्ती डिक्री से व्यथित थी तो उसे इसकी अपील करनी

6/1/10

चाहिये थी । नये सिरे वाद प्रस्तुत करने का उसे कोई अधिकार नहीं है । अतः निवेदन है कि अपील खारिज की जावे ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । साथ ही तहत अदालत के अपीलाधीन निर्णय का भी अवलोकन किया । तहत न्यायालय ने अपने निर्णय में मात्र इतना सा लिखा है कि पत्रावली में उपलब्ध निर्णय वाद पत्र संख्या 88/88, 89/88 पूर्व में निर्णित हो चुके हैं जो समकक्ष न्यायालय द्वारा निर्णित किये गये हैं, इसलिये पुनः दावा चलने योग्य नहीं है, ऐसा दावा विधि अनुसार रेसज्यूडीकेटा से बांधित है । तहत अदालत का यह निर्णय स्पीकिंग ऑर्डर की तारीफ नहीं आता है, क्योंकि रेसज्यूडीकेटा का प्रश्न विधि एवं तथ्य का मिश्रित प्रश्न होता है, जिसे सुनवाई एवं साक्ष्य के आधार पर ही निर्णित किया जाता है । मौजूदा प्रकरण में तहत अदालत द्वारा इस सम्बन्ध में ना तो वादिया अपीलांटा को अपना जवाब/बहस प्रस्तुत करने का अवसर दिया और ना ही साक्ष्य ली । तहत न्यायालय को चाहिये था कि रेसज्यूडीकेटा के सम्बन्ध में कानूनी तनकी बनाकर उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान कर रेसज्यूडीकेटा के प्रश्न को निर्णित करते । यहां यह तथ्य भी गौरतलब है कि वादिया अपीलांटा द्वारा प्रस्तुत वाद में प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर दिया गया था । तत्पश्चात प्रतिवादीगण द्वारा वादिया अपीलांटा के पक्ष में राजीनामा भी प्रस्तुत कर दिया गया था । इसके बाद वादिया अपीलांटा द्वारा संशोधित वाद भी प्रस्तुत किया गया था, जिसका उल्लेख अपीलाधीन निर्णय में नहीं किया गया है । जवाब दावा, राजीनामा और संशोधित वाद पत्र प्रस्तुत होने के बाद तहत न्यायालय को चाहिये था कि इन सबके आधार पर तनकियात कायम करते, जिनमें रेसज्यूडीकेटा पर एक विधिक तनकी भी बनाई जानी चाहिये थी । तनकियात कायम करके प्रत्येक तनकी पर उभयपक्ष की सुनवाई एवं साक्ष्य लेकर तनकीवार निर्णय पारित करना चाहिये था, परन्तु विद्वान तहत अदालत द्वारा उपरोक्त सभी प्रकियाओं की अनदेखी कर 3–4 लाईन का निर्णय पारित कर दिया, जो ना तो स्पीकिंग ऑर्डर की संज्ञा में आता है और ना ही इस ऑर्डर को विधिसम्मत कहा जा सकता है ।

उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत ना होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है

5/1/10

तथा प्रकरण में विधिपरक एवं तथ्यपरक तनकियात कायम करके तनकीवार निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण रिमांड किये जाने योग्य है ।

7 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 2.5.2019 निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण तहत न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वो वाद पत्र में जवाब दावा एवं राजीनामा के आधार पर तनकियात कायम करें, इनमें रेसज्यूडीकेटा के सम्बन्ध में कानूनी तनकी भी कायम की जावे । तत्पश्चात प्रत्येक तनकी पर उभयपक्ष की सुनवाई एवं साक्ष्य लेकर गुणावगुण पर तनकीवार निर्णय पारित किया जावे । उभयपक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वो वास्ते सुनवाई तहत अदालत में दिनांक 2.12.2019 को उपस्थित हों ।

8 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

31/10/19

(कमल राम मीना)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील अधिकारी,अलवर